तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	ओमप्रकाश दांतीवाडा बनाम **लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर), जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 18 / 2024
26 / 03 / 2024	

अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाडा निवासी अखिल भारतीय किसान सेवा कार्यालय, गांधी टावर चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के पीछे, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.11.2023 को (1) भ्रष्ट्राचार जांच ब्यूरो, जयपुर में दर्ज परिवाद संख्या 401 / 18 दिनांक 13.08.18 के संबंध में परिवाद का सत्यापन करने हेतु भ्रष्ट्राचार जांच ब्यूरो जयपुर से जिला कलक्टर (भू.रू.) तृतीय, जोधपुर को प्रेषित लगातार आदेश पत्र मय सम्पूर्ण पत्रावली एवं जिला कलक्टर (भू.रू.) तृतीय, जोधपुर द्वारा भ्रष्ट्राचार जांच ब्यूरो को प्रेषित जवाब व साथ संलग्न सम्पूर्ण पत्रावली व उक्त कार्यालय की नोटशीट सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर) से जरिये पत्रांक 298 दिनांक 15.03.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर), जोधपुर) के समक्ष आवेदन कर भ्रष्ट्राचार जांच ब्यूरो में दर्ज परिवाद 401 / 18 दिनांक 13.08.2018 से संबंधित दस्तावेज चाहे, जिसके संबंध में कार्यालय के पत्रांक एडीएम3 / सू.अ.अ. / 2024 / 70 दिनांक 19.01.2024 से प्रार्थी को अवगत कराया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कार्यालय ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक 102–3 दिनांक 10.02.2022 को अपर जिला कलक्टर–तृतीय को प्रेषित पत्र की 5 प्रति चाही गई थी जिसकी मूल पत्रावली ए. सी.बी. मुख्यालय जयपुर में विचाराधीन होने से वांछित दस्तावेज ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर से प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:22 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का स्पष्टीकरण / संबंधित तथ्यों से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।